

Tax Calculation Guidelines 2020-21

In reference to the Rule 4 of the Dadra and Nagar Haveli (Imposing of a Consolidated Tax on land and buildings in Municipal Area) Rules, 2018 the Presumed Annual Rent is increased by 4 % to the rate of the year 2019-20 and the New Tax Rate for the Year 2020-21 is as under:

Tax Rate per square feet per annum on built up area			
Location Class	Residential Property Tax	Commercial Property Tax	
3	2.37	5.58	
4	1.18	2.97	

Following Exemptions shall be considered for the bellow mentioned types and the above rates shall not apply:

- 1. All buildings and lands used for religious purpose are exempted from property tax.
- 2. Retired Soldiers and their widow/widower are exempted from Property Tax of building and land on which they are living.
- 3. For Property tax for an area less than or equal to 25 square meters Rs. 250/ per annum has been fixed as property tax per annum.
- 4. Tax for Houses allotted to beneficiaries under various schemes of poverty Alleviation program is fixed as Rs. 250 / per annum.
- 5. Tax for kutcha house, old house, and traditional huts built with indigenous material having ineligible rent value and occupied by poor household is fixed as Rs. 250 / per annum.

कर गणना दिशानिर्देश 2020-21

दादरा और नगर हवेली (नगर क्षेत्र में भूमि और भवनों पर समेकित कर का प्रस्ताव) नियम, 2018 में वर्ष 2018-20 के नियम 4 के संदर्भ में और नई दर से प्रस्तावित निर्धारित वार्षिक में 4% की वृद्धि हुई है वर्ष 2020-21 के लिए कर की दर इस प्रकार है:

निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष कर क्षेत्र			
स्थान वर्ग	आवासीय संपत्ति	व्यवसायिक संपत्ति कर	
3	२.३७	५.५८	
8	१.१४	२.९७	

उल्लिखित प्रकारों पर उपरोक्त कर लागू नहीं होंगा और निम्नलिखित छूट दी जाएगी :

- 1. धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी इमारतों और जमीनों को संपत्ति कर से छूट दी गई है।
- 2. सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके विधवा / विधुर को जिस संपत्ति पर वे रह रहे हैं उस संपत्ति के कर से छूट दी गई है।
- 3. जिस संपत्ति का क्षेत्र 25 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर हैं उनके लिए संपत्ति कर रु 250 / प्रति वर्ष निर्धारित है।
- 4. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आवंटित मकानों के लिए संपत्ति कर रु 250 / प्रति वर्ष निर्धारित है।
- 5. कच्चे मकान, पुराने घर, और पारंपरिक झोपड़िया जो कि प्राकृतिक सामग्री से निर्मित हैं और जिंका किराया मूलिया अपात्र हैं उनका संपत्ति कर रु 250 / - प्रति वर्ष निर्धारित है।